समक्ष:- न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल बोर्ड, ग्वालियर, म•प्र•

नोनेलाल अहिरवार तनय कूरे अहिरवार,

निवासी-पीपरीखिरया, तहसील पथरिया, जिला दमोह,

...रिवीजनकर्ता

।। बनाम ।।

1• तेजाबाई उर्फ राधारानी बेवा मुकुन्दा अहिरवार

2•मोहन ना•बा•बलि पिता सरमन अहिरवार

दोनों निवासी-पीपरीखिरया तहसील पथरिया, जिला दमोह

म•प्र•

...उत्तरदातागण

रि•प्र•क्रं•

ता•प्रस्तुति:

ता•पेशी:

आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म•प्र•भू•रा•संहिता 1959

रिवीजनकर्ता निम्न लिखित रिवीजन प्रस्तुत करता है:-

रिवीजनकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान् अपर कमिश्नर महोदय सागर संभाग, सागर के द्वारा अपील प्र0क्रं0 399 अ/6 वर्ष 12-13 पक्षकार तेजाबाई उर्फ राधारानी + 1 अन्य बनाम नोनेलाल अहिरवार प्रकरण में पारित विधि विरुद्ध आदेश जो कि कानून की प्रक्रिया को ताक पर रखकर किया गया है उक्त आदेश दिनांक 20•09•2013 से दुखी होकर रिवीजनकर्ता द्वारा यह रिवीजन श्रीमान् के समक्ष निम्नलिखित तथ्य एवं आधारों पर प्रस्तुत है:

।। रिवीजन के तथ्य ।।

1• यह कि, उक्त प्रकरण श्रीमान् तहसीलदार महोदय पथरिया के न्यायालय में इस आधार पर उत्तरदातागण क्रं• 1 व 2 जो कि श्रीमान्

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3679/तीन/2014 जिला–दमोह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22.7.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 399/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2013 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदिका क्रमांक 1 के पति स्वर्गीय मुकुन्दा अहिरवार के नाम ग्राम व मौजा पिपरिया खिरिया पटवारी हल्का नं. 13 तहसील पथरिया जिला दमोह में स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 324/1, 553 रकवा क्रमशः 1.60, 0.48 कुल रकवा 2.08 है0 मृतक मुकुन्दा के नाम से दर्ज थी जिसपर मृतक मुकुन्दा मालिक काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा था। उक्त कृषि भूमि पर मुकुन्दा ने संत शिरोमणि दास जी का मन्दिर बनवाया था। जिसकी पूजा अर्चना मृतक स्वंय करता था। अनावेदक क्रमांक 1 के पति मुकुन्दा अहिरवार का दिनांक 01.02.2012 को देहांत हो गया था मृतक मुकुन्दा की पत्नी होने के कारण वह उसकी एक मात्र उत्तराधिकारी थी इसलिये तहसीलदार पथरिया के समक्ष उक्त कृषि भूमि का नामान्तरण हेतु फौती	

दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसपर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.08.2012 पारित किया जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जो आंशिक रूप से स्वीकार कर दिनांक 12.02.2013 को नोनेलाल को उक्त बाद स्वत्व भूमि का मोहत्तमकार स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया। इसके विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपील अपर आयुक्त को प्रस्तुत की गयी जो पारित आदेश दिनांक 20.09.2013 से यह निर्देश दिये गये कि तहसीलदार का नामान्तरण आदेश वैध है तथा अनुविभागीय अधिकारी दमोह का आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपील स्वीकार की जाती है। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

3– प्रकरण में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किये गये है जो उनके द्वारा निगरानी मैमो में उल्लखित किये है। उनके द्वारा यह बताया गया कि तहसीलदार पथरिया के न्यायालय में अनावेदिका द्वारा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था वह गलत आधारो पर मंजूर किया गया है क्योंकि आवेदन पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी के आवेदन पर जहॉ तहसीलदार ने कोई आदेश ही नहीं किया। तो ऐसे नामान्तरण का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य था। धारा 58 साक्ष्य अधिनियम के आधार पर स्वीकृत साक्ष्य का सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वंय तेजाबाई द्वारा तहसीलदार न्यायालय में

स्वीकार किया गया है कि वह प्रेमा बाई की पत्नी है तथा स्वर्गीय मुकुन्दा अहिरवार के यहॉ रहने लगी थी। इससे स्पष्ट है कि स्वर्गीय मुकुन्दा अहिरवार की वैधानिक पत्नी नहीं थी वह मात्र रखेल थी और रखेल को नामान्तरण का अधिकार नहीं है। जहॉ तक के यहॉ कोई संतान न हो तो ऐसी स्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानो के तहत् सूची वर्ग–1 के वारिस में मृतक मुकुन्दा का सगा भतीजा जोकि कानून भूमि में नामान्तरण कराने का अधिकारी है। परन्तु तहसीलदार पथरिया एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा उपरोक्त तथ्यों को अनदेखा कर आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4.– अनावेदकगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि उपरोक्त प्रकरण मे अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा विधिवत् विचार करने के पश्चात् आदेश पारित किया है जो स्पष्ट एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5– उभय पक्षों द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में नोनेलाल ने आपत्ति पेश की थी कि अनावेदिका क्रमांक 1 मुकुन्दा की विवाहिता पत्नी नहीं है। सिर्फ रखी गयी पत्नी है उसके लिये दो एकड़ भूमि और सरमन के नाम 2 एकड़ भूमि दी थी। और वह मृतक की देखभाल करने लगा था उसे

भूमि का मोहत्तमकार नियुक्ति किया है स्वर्गीय मुकुन्दा के कोई पुत्र पुत्री नहीं होना बताया गया है वह मृतक का भतीजा है नोनेलाल ने 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा लिखा है जिसमें बताया गया है कि स्वर्गीय मुकुन्दा उसका चाचा है उसके जीवित रहते रहे मोहत्तकार नियुक्त कर दिया है। सरमन तेजाबाई के भाई का लड़का है। और तेजाबाई , मुकुन्दा ने गोद लिया है जबकि अभिलेख एवं पटवारी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि तेजाबाई मृतका की पत्नी है। इसलिये मुकुन्दा के फौत होने पर उसकी पत्नी तेजाबाई का नाम वारिसाना नामान्तरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तेजाबाई को मृतक मुकुन्दा की पत्नी माना है तथा मृतक मुकुन्दा द्वारा संत शिरोमणि रविदास जी का ग्राम पिपरिया खिरिया मन्दिर बनाया है तथा कुछ भूमि मन्दिर की व्यवस्था हेतु दी गयी थी प्रस्तुत इकरारनामा के अनुसार मोहत्तमकार मुकुन्दा के मरने के बाद अनावेदिका मोहत्तमकार होगा। भूमि का रकवा स्पष्ट नहीं है न ही सहमति है ऐसी स्थिति में आंशिक अपील स्वीकार कर मृतक मुकुन्दा के नाम अंकित भूमि शामिल सरिक तेजाबाई पति मुकुन्दा तथा शिरोमणि रविदास जी मोहत्तमकार नोनेलाल प्रबंधक कलेक्टर दमोह का नाम अंकित किया है। मोहत्तमकार को भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा व्यवहार न्यायालय या वरिष्ठ न्यायालय के आदेश होने तक यह आदेश लागू रहेगा। तेजाबाई स्वर्गीय मुकुन्दा की पत्नी थी 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा

हुआ है जो पंजीकृत नहीं है अपंजीकृत विलेख का बिना उपयुक्त साक्षियों के स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः तथाकथित इकरारनामा स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के एक मात्र वैध वारिस उसकी पत्नी तेजाबाई है इस संबंध मे पटवारी द्वारा विधिवत् जॉच कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा नामान्तरण आदेश पारित किया गया था जिसके संबंध में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें हस्तक्षेप का कोई विधिक कारण नहीं है।

6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर वर्तमान निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2013 स्थिर रखे जाने के आदेश दिये जाते है।

सदस्य